

FORM-I
(for linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR(57)/2014

267.

Dated: 07/04/2015

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0-86-80 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of the Executive Engineer, HP PWD Theog for Construction of link road from Chelari to Lower Kiara (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Theog in Tehsil.

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0-86-80 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 22 annexure.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl: As above

(DINESH MALHOTRA)

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

Shimla District (H.P.)





Received
8/4/05

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Dinesh Malhotra, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 16-03-2015 at 11.30 A.M. at Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha, claiming rights in Village Kot-kiara forest area(s) 0-86-80 hect. under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Theog were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	

OR

As informed by SDO (Civil) Theog, no application was received from Kot & Kiara Gram Sabha claiming right in 0-86-80 hect forest area.

District Shimla



Date:16-03-2015

Deputy Commissioner-Cum- Chairman
R

PROCEEDING OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHT COMMITTEE HELD ON 16-03-2015 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI DINESH MALHOTRA, IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.

The following members of the District Level Forest Right Committee were present.

1. Shri D.K. Rattan, Addl. District Magistrate, Shimla	Member Secy
2. Shri Raman Sharma, Divisional Forest Officer, Shimla	Member
3. Dr. Neeraj Kumar, IFS, Divisional Forest Officer, Theog	Member
4. Shri Parveen Thakur, IFS, Divisional Forest Officer, Kotgarh	Member
5. Shri Ashok Chauhan, Divisional Forest Officer, Rohru	Member

At the very outset the Addl. District Magistrate (L&O) welcomed all the members of the committee and a total 25 cases for issuance of Forest Right Certificate which have been received from the Sub-Divisional Committee placed before the District Level Forest Right Committee and after detail discussion following decision were taken.

Sub-Division Shimla-Rural

The following 07 cases have been received from the Sub-Divisional Committee Shimla-Rural and placed before the District level Forest Right Committee:-

1. C/o LWSS from Sainj Khad to Gharog Ghandal
2. C/o Health Sub Centre Neen
3. C/o Play Ground at Shilru
4. C/o Health Sub Centre Banan
5. C/o Link road Chailly Khurd
6. C/o 2nd Campus of HP University at Padech
7. C/o Link road to Village juni

The Sub Divisional Forest Rights Committee of Sub Division Shimla-Rural has recommended the cases on the report/ recommendation of the Village level Forest Right Committee for diversion of forest land for the construction of above road/ project. It has been recommended by the Sub Division Committee that No claim is pending under forest right for diversion of forest land involved in the above roads/project. Therefore, the District Level Committee also recommended the cases under the Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, as there is No claim pending in respect of the above proposal for diversion of forest land in Tehsil Shimla-Rural, District Shimla.

Sub-Division Shimla-Urban

1. C/o Ambulance road Panjri School to Lower Panjari

Only one case has been received from the Sub-Divisional Committee Shimla-Urban and placed before the District level Forest Right Committee:-

The Sub Divisional Forest Rights Committee of Sub Division Shimla-Urban has recommended the case on the report/ recommendation of the Village level Forest Right Committee for diversion of forest land for the construction of above road/ project. It has been recommended by the Sub Division Committee that No claim is pending under forest right for diversion of forest land involved in the above roads/project. Therefore, the District Level Committee also recommended the case under the Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act.

The meeting ended with vote of thanks.


20/3/15
Deputy Commissioner-Cum-Chairman
District Level Forest Right Committee
Shimla District Shimla, H.P.

PR
NA

W
M
H
M
A
T



कार्यालय ग्राम पंचायत क्यारा

विकास खण्ड व तह0 ठियोग, जिला शिमला हि0 प्र0

प्रधान प्रकाश चन्द

उप-प्रधान: जगत राम

सन्दर्भ.....

प्रतिलिपि प्रस्ताव संख्या.....

प्रधान श्री.....

उपस्थिति में ग्राम पंचायत/ग्राम सभा क्यारा की बैठक में पारित हुआ।

दिनांक 25-11-2014

जो दिनांक 25-11-2014 को

सदस्य की

विषय: निर्माण सड़क चैलरी मोड़ से हरिन बरिद क्यारा के अन्तर्गत लगने वाली भूमि

भूमि के लिए अन्नापति प्रमाण पत्र जारी करने वारे किया। यह है कि मुख्य सड़क शिलालु से क्यारा के मध्य से निकाले जाने वाले समर्पण मार्ग चैलरी मोड़ से ह0 बरिद क्यारा के बीच ग्राम पंचायत क्षेत्र क्यारा के अन्तर्गत जो नीजी व सरकारी भूमि स्थित होने है उसके लिए ग्राम क्यारा के निम्न लोगों की जमीन सड़क में लगा रही है, उनके द्वारा गिराई डीड (हलिका ब्याज) हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग के जायजिय भवमान में दे दी गई है, तथा सुरक्षित है। व सरकारी भूमि के लिए अनु जनजाति वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समिति ग्राम क्यारा क्यारा द्वारा अपनी रिपोर्ट संलग्न कर दी गई है, किता डीड सड़क का निर्माण किया जाना उचित व आवश्यक है, तथा ग्राम पंचायत क्यारा को समर्पण मार्ग के निर्माण हेतु कोई भी आपत्ति नहीं है, व वनाधिकार समिति ग्राम क्यारा क्यारा द्वारा पुनराविचार क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु ग्राम पंचायत क्यारा समिति की सिफारिश का समर्थन करती है प्रस्ताव पारित है, जो कि अमल मुताबिक बेहो व सुरक्षित है।

Dr. Suresh K. Poores

22/12/14



प्रधान

ग्राम क्यारा क्यारा
चि0 प्र0 ठियोग शिमला हि0 प्र0

25/11/2014
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत क्यारा
विकास खण्ड ठियोग
जिला शिमला हि0 प्र0

अनुसूचित जनजाति वनाधिनार अधिनियम 2006.

वनाधिनार समिति शरावज्ज ग्राम वारा !

प्रतिलिपि प्रस्ताव : संख्या - 01 जो कि दिनांक 15-11-2014 को समिति प्रधान श्री भस्तराम की अध्यक्षता में अधिवारि सदन 63/125 सदस्य के द्वारा बैठक में पारित हुआ !

विषय : मिमिणि सड़क चोखरी मोड़ से हरिन वारि वारा के अन्तर्गत लगने वाली

वन क्षेत्र भूमि को बितार ! यह है कि बैठक में उपरोक्त सम्पत्ति सड़क

के मिमिणि लगे वारे उस्ताव मध्यम मध्यम के समक्ष रखा गया, तथा सर्व-
सम्मति से बिहार विमर्श किया गया कि वन क्षेत्र वारा वल के अन्तर्गत सरकारी
भूमि का उपयोग लगभग

है. रिक्त है, उपरोक्त सड़क मिमिणि के लिए प्रयुक्त है, अतः वनाधिनार
समिति ग्राम वारा सरकार से विवेक चाहते हैं कि ऊपर हैव्यार
भूमि जो कि खसरा नं०

को ग्राम पंचायत वारा के अन्तर्गत करने हेतु सरकार से सिफारिश
करती है, ताकि ग्राम वारा के लिए सड़क मिमिणि का कार्य जालानी
ले किया जा सके ! अतः वनाधिनार समिति ग्राम वारा उपरोक्त वन-
क्षेत्र सरकारी भूभाग है, अपनी अन्त्यापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर लेई
सुस्तोय अवधिमात्र ले पारित है।
प्रतिलिपि : 1. ग्राम पंचायत वारा को अपनी सिफारिश हेतु सम्पत्ति लगे
वारे/सादर प्रेषित !

(i) उपमंडलाधिपति (नाट) उपमंडल निवास हेतु सूचनाय व समावधान
आपवाही हेतु सादर प्रेषित है

(ii) उपमंडल मध्यम, निवा-ग्रामिक को सेवा में आगामी व समावधान
आपवाही हेतु सादर प्रेषित है

प्रधान Mart
वनाधिनार समिति
ग्राम पंचायत वारा
ग्राम पंचायत वारा
ग्राम पंचायत वारा

सचिव
वन अधिकार समिति
ग्राम पंचायत वारा
तह. विभाग जि. शिवमोहिनी
ग्राम पंचायत वारा
ग्राम पंचायत वारा

कार्यालय वन अधिकार समिति

ग्राम पंचायत क्यारा, डा0 क्यारा, तह0 ठियोग, जिला शिमला हि0 प्र0

प्रस्ताव संख्या९।.....

दिनांक.....०७/०६/२०१४.....

विषय: प्रतिनिधि प्रस्ताव संख्या वन अधिकार समिति ग्राम पंचायत क्यारा, डा0 क्यारा, तह0 ठियोग, जिला शिमला हि0 प्र0 की बैठक जो कि दिनांक०७/०६/२०१४..... को पंचायत प्रधान श्री प्रकाश चन्द की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रस्ताव न0 ०१ सर्व सम्मति से निम्नलिखित कार्यकारिणी का चुनाव सम्पन्न हुआ।

क्र0 सं0	नाम सदस्य	पिता/पति	गांव का नाम	जाति	मो0 न0	हस्ताक्षर
1.	मस्त राम S/O	स्व0 रिहपुराम	क्यारा	अ0 जा0	9459031291	Mast Ram
2.	कमलेश S/O	स्व0 प्रीतम	-do-	-do-	9418688328	Kamlesh
3.	गंगा राम S/O	पूर्ण	-do-	-do-	9418536430	Ganga Ram
4.	भातराम S/O	पल्लव	-do-	-do-	9459963766	Bhataram
5.	कांशी राम S/O	शुपी	-do-	-do-	9418688276	Kanshi Ram
6.	रमेश S/O	भाथु	-do-	-do-	9459963683	Ramesh
7.	इंद्र सिंह S/O	रणभा	-do-	-do-	9459081544	Indra Singh
8.	कमलेश S/O	जयचन्द	-do-	-do-	9459081544	Kamlesh
9.	रमेश S/O	स्व0 रोशनलाल	-do-	-do-	94159089634	Ramesh
10.	रुमिला S/O	जिमा लाल	-do-	-do-	9736490528	Rumila
11.	उषा S/O	सुभाष	-do-	-do-	9418261664	Usha
12.						
13.						
14.						
15.						

प्रस्ताव न0 सर्व सम्मति से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006, नियमों व उपनियमों को ग्रहण तथा सवीकार किया।

प्रस्ताव न0 सर्व सम्मति से निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत शिलार में सड़क का निर्माण चेलरी मोड़ से लोअर क्यारा 0/0 से 3/465 अब्बल जंगल क्यारा चौक इस जंगल से सड़क का निर्माण होना अति अनिवार्य है।

प्रस्ताव न0 सर्व सम्मति से श्री मस्त राम प्रधान (वन अधिकार समिति) को अधिकार दिया जाता है कि वह ग्राम पंचायत क्यारा को अवगत कराते हुए पंजीकृत करवाये तथा आगामी कार्यवाही हेतु उपरोक्त समिति से अवश्य पत्र व्यवहार करें।



प्रधान

(Signature)

ग्राम पंचायत क्यारा
तह0 ठियोग, जिला शिमला

पंचायत

(Signature)
०७/०६/२०१४



कार्यालय ग्राम पंचायत क्यारा

विकास खण्ड व तह0 ठियोग, जिला शिमला हि0 प्र0

उप-प्रधान: जगत राम

प्रधान प्रकाश चन्द

सन्दर्भ..... वनाधिकार समिति क्यारा का अधिनियम 2006 दिनांक 20.06.2014

प्रतिलिपि प्रस्ताव संख्या 81 जो दिनांक 20.06.2014 को प्रधान श्री की अध्यक्षता में सदस्य की उपस्थिति में ग्राम पंचायत/ग्राम सभा क्यारा की बैठक में पारित हुआ।

विषय: वनाधिकार समिति क्यारा का अधिनियम 2006 के अन्तर्गत 20.06.2014 को ग्राम क्यारा में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें वनाधिकार समिति का अधिनियम 2006 के अन्तर्गत ग्राम क्यारा में उद्घाटन व सदस्य का चयन सर्वसम्मति से किया गया।

क्र.सं.	समिति सदस्य	पिता/पति का नाम	गैर सदस्य	नाम	आवक	प्रधान
1.	महेश्वर	810	खरहरपुरम	क्यारा	8888	9459031291 प्रधान
2.	कमलेश	810	खरहरपुरम	do	do	9418688328 सचिव
3.	गंगाशम	810	पुर्वी	do	do	9418536430 सचिव
4.	भगतशम	810	पल्लवशम	do	do	9459963766 सदस्य
5.	कौशीशम	810	शुषि	do	do	9418688276 do
6.	रमेश	810	आशु	do	do	9459963663 do
7.	इंद्रविह	810	रणिम	do	do	9459093547 do
8.	कमलेश	810	जयप्रद	do	do	9459093547 do
9.	सनीह	810	शैलमल	do	do	do
10.	समिला	810	जिथालाल	do	do	9459093547 do
11.	उषा	810	सुभाष	do	do	do

अतः समिति द्वारा प्रधान व सदस्य का चयन सर्वसम्मति से किया गया है उद्घाटन पारित हुआ।

प्रतिलिपि विकास अधिकारी को भेजी

(i) उपमंडल अधिकारी (नांद) उपमंडल भिन्ने

(ii) जिला पंचायत अधिकारी शिमला, जिला निलम

(iii) उपमंडल अधिकारी जिला शिमला, जिला निलम

कार्यवाही हेतु सचिव को भेजा

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत क्यारा
विकास खंड ठियोग
जिला शिमला (हि0 प्र0)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत क्यारा
त.ठियोग, विकास खंड (हि0 प्र0)



वि०ख० ठियोग शिमला
कार्यालय ठियोग
(वि०ख०)-171213

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा
विकास खण्ड जिला (हि०प्र०)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक 15-11-2014

गणपूर्ति 63/125 /

प्रस्ताव संख्या 1

विषय: विभाग/संस्था को के निर्माण हेतु जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा की बैठक आज दिनांक 15-11-14 को 11 AM बजे, स्थान की गई, जिसमें विभाग/संस्था को के निर्माण हेतु जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली है तथा प्रस्तावित हैक्टयर वन भूमि को निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा की सहमति दी जाती है।

स्थान
दिनांक

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा
समिति
पंचायत
तह. दियोग जि. सिमला

पदान
पंचायत
वि०ख० दियोग सिमला, हि०प्र०

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
वन अधिकार समिति
ग्राम सभा
प्रतिनिधी प्रस्ताव

दिनांक 15-11-14

प्रस्ताव संख्या

वन अधिकार समिति ग्राम सभा की अध्यक्षता में की गई जिसमें परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें के निर्माण के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारों के आवेदन पर बंधों की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित प्राप्ति का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क्रमांक

* पात्र गांव वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का व्यौरा

1
2

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित प्राप्ति का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्रमांक

* पात्र गांव वासी का नाम

1
2

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान
दिनांक

अधीकृत दस्तावेजों पर
ग्राम सभा
तह. त्रियोग

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए आवेदन किया है।

** ग्राजिएट / कार्य का भार जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।



प्रधान

ग्राम पंचायत क्या
चिन्डो त्रियोग शिमला, हिमाचल प्रदेश



कार्यालय ग्राम पंचायत कोट शिलारु

विकास खण्ड ठियोग, तह0 ठियोग, जिला शिमला, (हि0 प्र0)

कोट शिलारु

प्रतिलिपि कार्यवाही बैठक ग्राम पंचायत ~~सैफी मत्वाजा~~ जो दिनांक 12-12-14 को प्रधान ~~श्री~~
~~सुन्दरी पं. मरदुज~~
.....उप-प्रधान श्री.....की अध्यक्षता में.....

8/9.....सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई।

प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक.....

विषय : निर्माता सड़क चैलरी मोड़ से हरिजन बसित क्यारा
के अन्तर्गत लगाने वाली भूमिके लिए अनापति
प्रमाण पत्र जारी करने बारे

बैठक में सर्वसम्मति
से विचार विमर्श कर पुराना उखा गया कि
चैलरी मोड़ से हरिजन बसित क्यारा सड़क निर्मा
में ग्राम पंचायत कोट शिलारु के राजस्व गांव
कोट, व पाला के जिन लोगों की जमीन सड़क
में लग रही है उनके द्वारा सिफर लैंड लोक
निर्माण विभाग कार्यालय में दूही गई है तथा
सुरक्षित है। सरकार भूमिके लिए अनु
जनाति वनाधिकार अधिनियम 2006 के
अन्तर्गत समिति ग्राम सभा द्वारा अपनी डिपॉ
संलग्न की गई है। अतः उपरान्त सड़क का
निर्माण किया जाना अनिवार्य है।
वनाधिकार समिति ग्राम सभा कोट शिलारु
द्वारा पुराना वन क्षेत्र में सड़क निर्माण
के लिए कोट व पाला वन समिति की सिफारिश
का समर्थन करती है।

पुराना पारत है।

Sharma

Signature



कार्यालय ग्राम पंचायत कोट शिलारु

विकास खण्ड त्रियोग जिला शिमला हि0 प्र0

आज दिनांक 11/06/2014 को उपायुक्त महोदय जिला शिमला से प्राप्त पत्र संख्या PCH-SML FRA/2014-132-61-70 दिनांक 30/01/2014 की अनुपालना में वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार समिति के गठन हेतु राजस्व गांव पालो की ग्राम सभा बैठक प्रधान श्री सन्दीप भारद्वाज की अध्यक्षता में आरम्भ हुई उपस्थिति सदस्यता..203..../...270..... बैठक में निम्न कार्यवाही अमल में लाई गई ।

वनाधिकार समिति के गठन करने बारे

ग्राम सभा की बैठक में अध्यक्ष महोदय ने वनाधिकार समिति के गठन का प्रस्ताव रखा । विस्तृत चर्चा उपरान्त निम्न सदस्यों कमेटी में सर्वसम्मति से चुना गया । ब्यौरा निम्न है-

क्र0स0	नाम सदस्य	पिता/पति का नाम	गांव का नाम	जाति	मोबाइल न0	
1	ज्ञानचन्द	हरिदत्त	शिलारु	सामान्य	9805651914	G. S. S. S.
2	रामलाल	मोतीराम	रेवी	सामान्य	9418068492	R. S. S. S.
3	सुरेन्द्र	हरिदत्त	कारावग	सामान्य	9418172477	S. S. S. S.
4	रमेश	कांशीराम	पालवी	अ0जा0	9459042851	R. S. S. S.
5	चेतराम	आत्माराम	पालवी	सामान्य	9418011020	C. S. S. S.
6	मेहरसिंह	कांशीराम	पालवी	सामान्य	9459962770	M. S. S. S.
7	महेन्द्रलाल	लक्ष्मीनन्द	रेवी	सामान्य	8988052555	M. S. S. S.
8	महेन्द्र	रमेशचन्द	कारावग	सामान्य	8988078087	M. S. S. S.
9	नरेश	लालसिंह	पालवी	अ0जा0	9459042447	N. S. S. S.
10	चन्दन	रामसिंह	शिलारु	सामान्य	9816977621	C. S. S. S.
11	वीना	लक्ष्मीराम	कारावग	सामान्य	98175210052	V. S. S. S.
12	उषा	कर्मचन्द	पालवी	सामान्य	9418060831	U. S. S. S.
13	विद्या	रुपलाल	रेवी	सामान्य	9459411918	V. S. S. S.
14	लता	प्रकाश	रेवी	सामान्य	9418071815	L. S. S. S.
15	पुष्पा	रविन्द्र	पालवी	सामान्य	9459973560	P. S. S. S.

उपरोक्त चयनित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रधानपद के लिए श्री चेताराम को सचिव पद के लिए श्रीमति रोजी को चुना गया ।

प्रतिलिपि- उपायुक्त महोदय जिला शिमला की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

2 निदेशक महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी जिला शिमला की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है

4 सहायक आयुक्त विकास एवं खण्ड विकास अधिकारी की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान
ग्राम-पंचायत-कोट-शिलारु
तै0 त्रियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कोट शिलारु
हि0 त्रियोग जिला शिमला

कार्यालय वन अधिकार समिति

ग्राम पंचायत शिलारु, वार्ड पालो, डा0 शिलारु, तह0 ठियोग, जिला शिमला हि0 प्र0

प्रस्ताव संख्या

दिनांक

विषय: प्रतिनिधि प्रस्ताव संख्या वन अधिकार समिति ग्राम पंचायत शिलारु, पार्ड पालो, डा0 शिलारु, तह0 ठियोग, जिला शिमला हि0 प्र0 की बैठक जो कि दिनांक को पंचायत प्रधान श्री संदीप शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रस्ताव न0 सर्व सम्मति से निम्नलिखित कार्यकारिणी का चुनाव सम्पन्न हुआ।

क्र0 स0	नम सदस्य	पिता/पति	गांव. का नाम	जाति	मो0 न0	हस्ताक्षर
1.	जान चन्द	हरिदत्त	शिलारु	सामान्य	9805651914	G. Khan
2.	रामलाल	मोतीराम	रेवी	सामान्य	9418068492	R. Khan
3.	सुरेन्द्र	हरिदत्त	कारावग	सामान्य	9418172477	S. Khan
4.	रमेश	कांशीराम	पालवी	अ0 जा0	9459042851	R. Khan
5.	चेतराम	आत्माराम	पालवी	सामान्य	9418011020	C. Khan
6.	मेहर सिंह	कांशीराम	पालवी	सामान्य	9459962770	M. Khan
7.	महेन्द्र लाल	लछमी नन्द	रेवी	सामान्य	8988052555	M. Khan
8.	महेन्द्र	रमेश चन्द	कारावग	सामान्य	8988078087	M. Khan
9.	नरेश	लाल सिंह	पालवी	अ0 जा0	9459042447	N. Khan
10.	चन्दन	राम सिंह	शिलारु	सामान्य	9816977621	C. Khan
11.	वीना	लायक राम	कारावग	सामान्य	9817510052	V. Khan
12.	उषा	कर्मचन्द	पालवी	सामान्य	9418060831	U. Khan
13.	विद्या	रुपलाल	रेवी	सामान्य	9459411918	V. Khan
14.	लता	प्रकाश	रेवी	सामान्य	9418071815	L. Khan
15.	पुष्पा	रविन्द्र	पालवी	सामान्य	9459973560	P. Khan

प्रस्ताव न0 सर्व सम्मति से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006, नियमों व उपनियमों को ग्रहण तथा सवीकार किया।

प्रस्ताव न0 सर्व सम्मति से निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत शिलारु में सड़क का निर्माण चेलरी मोड़ से लोअर क्यारा 0/0 से 3/465 अव्वल जंगल पालो चैक इस जंगल से सड़क का निर्माण होना अति अनिवार्य है।

प्रस्ताव न0 सर्व सम्मति से श्री चेताराम वर्मा प्रधान (वन अधिकार समिति) को अधिकार दिया जाता है कि वह ग्राम पंचायत शिलारु को अवगत कराते हुए पंजीकृत करवायें तथा आगामी कार्यवाही हेतु उपरोक्त समिति से अवश्य पत्र व्यवहार करें।

आम्र पुर्वित नम जगि वनोधिमाय अविनाश २००६

वनोधिमाय समिति
द्वारा जल्ल गाभ किण्ड पामलो (किण्डा)

पुति किमो पुतावं सारणा No-1 जो कि पुतावं
भी वेतरण वगै को कवसता के सवसता के
द्वारा वेतर के पारित डका

विषय:- वेतरण के डरेज वगै केवर सार
के अन्तर्गत लगेन वगै वगै वगै वि-वाय विमम
4-12-14 को सविनवेक के विचार डका कि उपरोक्त सडक
निर्माण वगै जो वगै गुमी एक वगै के
सडक के लगे वगै डरे लेक निर्माण के
सडक निर्माण के विषय के जो निर्माण के लगे
कोकि इस सडक के वगै डरेज वगै तथा वगै को
के लगे जगै सडक को वगै से लगे है।
इस को वगै वगै सडक निर्माण के कि जो जगै
वगै को वगै वगै पुतावं सडक वगै
के वगै है।

नकल पुतावं अकल के वगै वगै

प्रधान
वन अधिकार कमेटी
पुतावं विलास कोड
तह. विद्योम जिला विमला (विमला)

सचिव
वन अधिकार कमेटी
पुतावं विलास कोड
तह. विद्योम जिला विमला (विमला)

Copy to

- (1) गाभ पुतावं कोड किण्डा पुतावं
- (11) डप मडल वगै वगै

Annexture-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा
विकास खण्ड जिला (हि0प्र0)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

गणपूर्ति दिनांक
प्रस्ताव संख्या

विषय: विभाग/संस्था को
के निर्माण हेतु जंगल/ वन क्षेत्र
में प्रस्तावित हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग
की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा की बैठक आज दिनांक ..
को बजे, स्थान की गई, जिसमें
विभाग/संस्था को के निर्माण हेतु
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के
लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली है तथा प्रस्तावित हैक्टेयर वन भूमि को निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा की सहमति दी जाती है।

स्थान
दिनांक 4.12.14

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा

प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या

5

दिनांक 4-12-14

वन अधिकार समिति ग्राम सभा

पानकी

की बैठक आज दिनांक

को 11/11/14 बजे स्थान

पानकी

में श्री/श्रीमति

श्री/श्रीमति

की अध्यक्षता में की गई जिसमें

पानकी

ग्राम की अनुसूचित जनजाति और अन्य

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें P. 102D विभाग द्वारा केवल जंगल से लोकार्पण

के निर्माण के लिए 8.20.40 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए

दावे हेतु प्राप्त हुए ग्रामवासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर बर्बाद की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों

के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर दिये गए बर्बाद के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा

द्वारा निम्न विशिष्ट प्राप्ति का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क्र.सं.

* पात्र गांव वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का प्रकार

1
2

पानकी

पानकी

रक्षक भूमि जंगल में अर्पित

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों का प्रारित करने हेतु ग्राम सभा से इनकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित प्राप्ति का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र.सं.

* पात्र गांव वासी का नाम

1
2

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों का प्रारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान

पानकी

दिनांक

4-12-14

अधीकृत अधिकारी

ग्राम सभा

अधीकृत अधिकारी
ग्राम सभा
पानकी

* भूगोलीय / ग्राम वासीयों के नाम जिनकी इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।



कार्यालय ग्राम पंचायत कोट शिलारु

विकास खण्ड ठियोग, तह0 ठियोग, जिला शिमला, (हि0 प्र0)

प्रतिलिपि कार्यवाही बैठक ग्राम पंचायत सैफी मत्वाना जो दिनांक 12-12-14 को प्रधान श्री
सुन्दरी पं. मरदुज उप-प्रधान श्री..... की अध्यक्षता में.....

8/9 सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई।

दिनांक 12-12-14

प्रस्ताव संख्या T.....

विषय: निर्माण सड़क चैलरीमोड से हरिजन बस्ति तक या
के अंतर्गत लगानवाली भूमि के लिए अनुपाति
प्रमाण पत्र जारी करने के लिए
बैठक में सर्वसम्मति
से विचार विमर्श के पुरताव दिया गया कि
चैलरीमोड से हरिजन बस्ति तक या सड़क निर्माण
में ग्राम पंचायत कोट शिलारु के राजस्व गांव
कोट व पाला के जिन लोगों की जमीन सड़क
में लगे रही है उनके द्वारा सिफर बीड लोक
निर्माण विभाग कार्यालय में दे दी गई है तथा
सुरक्षित है। सरकार भूमि के लिए अनु
जाना व न्यायिकार आदेश नियम 2000 के
अंतर्गत समिति ग्राम सभा द्वारा अपनी डिपॉ
सैलशन की गई है। अतः उपर्युक्त सड़क का
निर्माण किया जाना आति आवश्यक है।
न्यायिकार समिति ग्राम सभा कोट शिलारु
द्वारा पुरतावित वन क्षेत्र में सड़क निर्माण
के लिए कोट व पाला वन समिति की सिकाइ
का समर्थन करती है।



प्रधान

कार्यालय कोट शिलारु
वि० प्र० ठियोग, शिमला, हि० प्र०

सचिव

कार्यालय ग्राम पंचायत कोट शिलारु

विकास खण्ड ठियोग जिला शिमला हि0 प्र0

आज दिनांक 21/07/2014 को उपायुक्त महोदय जिला शिमला से प्राप्त पत्र संख्या PCH-SML FRA/2014-132-61-70 दिनांक 30/01/2014 की अनुपालना में वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार समिति के गठन हेतु राजस्व गांव कोट की ग्राम सभा बैठक प्रधान श्री सन्दीप भारद्वाज की अध्यक्षता में आरम्भ हुई उपस्थिति सदस्यता: ¹³⁵ 268 रही। बैठक में निम्न कार्यवाही अमल में लाई गई।

वनाधिकार समिति के गठन करने बारे

ग्राम सभा की बैठक में अध्यक्ष महोदय ने वनाधिकार समिति के गठन का प्रस्ताव रखा। विस्तृत चर्चा उपरान्त निम्न सदस्यों कमेटी में सर्वसम्मति से चुना गया। ब्यौरा निम्न है-

क्र0स0	नाम सदस्य	पिता/पति का नाम	गांव का नाम	जाति	मोबाइल न0	
1	पूर्णचन्द	हरिदत्त	मलौर	सामान्य	9418646787	मलौर
2	प्रमोद	बालकराम	कोट	अ0जा0	9418064901	प्रमोद
3	जीतराम	रतिराम	कोट	अ0जा0		जीतराम
4	राजेंद्र	कांशीराम	कोट	अ0जा0	9817507511	राजेंद्र
5	रमन	परमानन्द	सुनपर	अ0जा0	9459818259	रमन
6	दलीप	बलुराम	भनैरो	अ0जा0	9817837126	दलीप
7	केशू	कांशीराम	कोट	अ0जा0	9459819015	केशू
8	नरेश	बालाराम	कोट	अ0जा0	9459964543	नरेश
9	रीना	केशवराम	कोट	अ0जा0		रीना
10	ईंद्रा	रोशनलाल	कोट	अ0जा0	9817419104	ईंद्रा
11	मिनाक्षी	पवन	कोट	अ0जा0	9459963732	मिनाक्षी
12	कान्ता	मानसिंह	कोटकर्याली	अ0जा0	9817393575	कान्ता

उपरोक्त चयनित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रधानपद के लिए श्री पूर्णचन्दश्याम को व सचिव पद के लिए श्री जीतराम को चुना गया।

प्रतिलिपि- निदेशक महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

2 उपायुक्त महोदय जिला शिमला की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी जिला शिमला की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

4 उपमण्डल अधिकारी नागरिक ठियोग की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

5 सहायक आयुक्त (वि0) एवं खण्ड विकास अधिकारी की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



PRADHAN
GRAM PANCHAYAT KOT SHILARU
DEV. BLOCK THEOG, SHIMLA, H.P.

SECY

कार्यालय वन अधिकार समिति

ग्राम पंचायत शिलारु, वार्ड कोट, डा0 शिलारु, तह0 ठियोग, जिला शिमला हि0 प्र0

प्रस्ताव संख्या

दिनांक. 21-7-14

विषय: प्रतिनिधि प्रस्ताव संख्या वन अधिकार समिति ग्राम पंचायत शिलारु, वार्ड कोट, डा0 शिलारु, तह0 ठियोग, जिला शिमला हि0 प्र0 की बैठक जो कि दिनांक 21-7-14 को पंचायत प्रधान श्री संदीप शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रस्ताव न0 सर्व सम्मति से निम्नलिखित कार्यकारिणी का चुनाव सम्पन्न हुआ।

क्र0 स0	नम सदस्य	पिता/पति	गांव का नाम	जाति	मो0 न0	हस्ताक्षर
1.	पूर्णचन्द S/o	हरिदत्त	मूलैर	सामान्य	9418646787	Puran Ch
2.	प्रमोद S/o	वल्लकराम	कोट	अ0 जा0	9418064901	Prasad
3.	जीतराम S/o	रत्नराम	कोट	-do-		Jitaram
4.	राजेश S/o	काशीराम	कोट	-do-	9817507511	Rajesh
5.	रमन S/o	परमानन्द	सुनपुर	-do-	9459818259	Raman
6.	दुलीप S/o	वल्लराम	भुनैरो	-do-	9817837126	Dulip
7.	केशू S/o	काशीराम	कोट	-do-	9459819015	Keshu
8.	नरेश S/o	बालराम	कोट	-do-	9459964543	Narish
9.	रिना	केशवराम	कोट	-do-		Rina
10.	इंद्रा	रौशनलाल	कोट	-do-	9817419104	Indra
11.	मिनाक्षी	पवन	कोट	-do-	9459963732	Minakshi
12.	कान्ता	मानसिंह	कोटकथाली	-do-	9817393575	Kanta
13.						
14.						
15.						

प्रस्ताव न0 सर्व सम्मति से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006, नियमों व उपनियमों को ग्रहण तथा सवीकार किया।

प्रस्ताव न0 सर्व सम्मति से निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत शिलारु में सड़क का निर्माण चेलरी मोड़ से लोअर क्यारा 0/0 से 3/465 अब्बल जंगल कोट चैक इस जंगल से सड़क का निर्माण होना अति अनिवार्य है।

प्रस्ताव न0 सर्व सम्मति से श्री पूर्ण चन्द प्रधान (वन अधिकार समिति) को अधिकार दिया जाता है कि वह ग्राम पंचायत शिलारु को अवगत कराते हुए पंजीकृत करवायें तथा आगामी कार्यवाही हेतु उपरोक्त समिति से अवश्य पत्र व्यवहार करें।

अनुसूचित जनजाति वनाधिकार अधिनियम २००६.
वनाधिकार समिति भूराजस्व ग्राम कोट-शिलारू ।

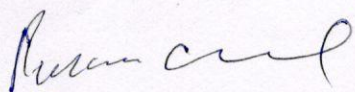
प्रतिलिपि प्रस्ताव :- संख्या - ०१ जो कि दिनांक ०५-१२-२०१५ को समिति प्रधान श्री पूर्णचन्द की अध्यक्षता में उपस्थित सदस्य १३५/२६८ सदस्य के द्वारा बैठक में पारित हुआ ।

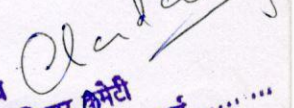
विषय :- निर्माण सड़क चेलरी मोड़ से हरिजन वस्ति क्यारा के अन्तर्गत लगाने वाली वन क्षेत्र भूमि बारे विचार :- यह है कि बैठक में उपरोक्त सम्पर्क सड़क के निर्माण करने बारे प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखा गया, तथा सर्वसम्मति से विचार विमर्श किया गया कि वन क्षेत्र कोट-शिलारू-चक के अन्तर्गत सरकारी भूमि का उपयोग लगभग हैक्टयर भूमि जो कि बिना पैड़ पौधों की है रिक्त है, उपरोक्त सड़क निर्माण के लिए उपयुक्त है, अतः वनाधिकार समिति ग्राम कोट-शिलारू सरकार से निवेदन करती है कि उक्त हैक्टयर भूमि जो कि खसरा नम्बर के अन्तर्गत आती है, उक्त भू भाग को ग्राम पंचायत कोट-शिलारू के अन्तर्गत करने हेतु सरकार से सिफारिश करती है, ताकि ग्राम क्यारा के लिए सड़क निर्माण का कार्य आसानी से किया जा सके । अतः वनाधिकार समिति कोट-शिलारू उपरोक्त वन क्षेत्र सरकारी भू-भाग हेतु अपनी अन्नापति प्रमाण पत्र जारी करती है । प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित है ।

प्रतिलिपि :- (i) ग्राम पंचायत कोट-शिलारू की अपनी सिफारिश हेतु समर्थन करने बारे सादर प्रेषित ।

(ii) उपमण्डलाधिकारी (ना०) उपमण्डल विभाग हेतु सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है ।

(iii) उपयुक्त महोदय, जिला-शिमला को सेवा में आगामी व आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है ।

प्रधान : 
वनाधिकार समिति
ग्राम कोट-शिलारू
तह- विभाग
जिला- शिमला

सचिव 
वनाधिकार समिति
ग्राम - कोट
तह- विभाग
जिला- शिमला

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा (हि0प्र0)
विकास खण्ड जिला

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक 4-12-14.

प्रस्ताव संख्या - I

गणपूर्ति

विषय: लोक निर्माण विभाग/संस्था को जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।
क निर्माण हेतु 0.01.20 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग

ग्राम सभा को बैठक आज दिनांक 4.12-14 को 11 AM बजे, स्थान को गई, जिसमें विभाग/संस्था को के निर्माण हेतु जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.01.20 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित वन उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली है तथा प्रस्तावित हैक्टेयर वन भूमि को निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा की सहमति दी जाती है।

स्थान
दिनांक 4-12-14.

प्रधान
अधीकृत प्रस्तावकर्ता
ग्राम सभा